



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 10.08.2025

1. थाना फेस-3 पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर द्वारा संगठित रूप में INTERNATIONAL POLICE & CRIME INVESTIGATION BUREAU के नाम से लोगो को भ्रमित करने के लिए फर्जी ऑफिस बनाकर सरकारी पदाधिकारी का झूठा दिखावा करके व पुलिस जैसा रंग व LOGO लगाकर आम जनता को प्रभाव मे लेकर धोखाधडी कर पैसा ऐंठने वाले 06 अभियुक्त गिरफ्तार ।

कार्यवाही का विवरण-- थाना फेस-3 सेन्ट्रल नोएडा पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर द्वारा दिनांक 10.08.2025 की रात्रि में INTERNATIONAL POLICE & CRIME INVESTIGATION BUREAU के नाम से लोगो को भ्रमित करने के लिए कूटरचित दस्तावेज दिखाकर, आफिस बनाकर सरकारी पदाधिकारी का झूठा दिखावा करके व पुलिस जैसा रंग व LOGO लगाकर आम जनता को प्रभाव मे लेने के उद्देश्य से भ्रमित कर पैसा ऐंठने वाले 06 अभियुक्तगण को बीएस-136 सैक्टर 70 से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तगण के कब्जे से 9 मोबाइल फोन, 17 स्टाम्प मोहर , 6 चैक बुक , 9 आईडी कार्ड , 1 पैन कार्ड , 1 वोटर कार्ड , 6 एटीएम कार्ड , 3 प्रकार के विजिटिंग कार्ड, मंत्रालयो से मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट, 1 सीपीयू, 4 इन्टरनेशनल पुलिस एण्ड क्राईम इन्वेस्टीगेशन ब्यूरो के बोर्ड ,42300 रुपये व अन्य दस्तावेज बरामद हुए है। अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करते हुए थाना फेस-3 पर मु0अ0सं0 320/2025 धारा 204 ,205,318,319, 336,339,338, 3(5) बीएनएस व 66सी , 66डी आईटी एक्ट व 3/4 EMBLEMS AND NAMES (PREVENTION OF IMPROPER USE) Act 1950 पंजीकृत किया गया है ।

अपराध करने का तरीका--

1. अभियुक्तगण द्वारा संगठित रूप से गैंग बनाकर एक आफिस किराये पर लेकर लोगो को भ्रमित करने के लिए पुलिस जैसा रंग, लोगो इस्तेमाल कर INTERNATIONAL POLICE & CRIME INVESTIGATION BUREAU का बोर्ड लगाकर लोगो को बेवकूफ बनाने का कार्य कर रहे थे।
2. INTERNATIONAL POLICE & CRIME INVESTIGATION BUREAU के नाम से लोगो को भ्रमित करने के लिए कूटरचित दस्तावेज दिखाते थे जैसे विभिन्न मंत्रालयो से मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट जैसे Ministry of tribal affairs, Ministry of Ayush and Ministry of Social Justice and Empowerment.

3. आम जनता को प्रभाव में लेने के उद्देश्य से यह लोग अपनी संस्था को इंटरनेशनल श्रेणी की बताते थे व अपना सम्बद्धीकरण Interpol, International Human Rights Commission , Eurasia Pol से बताते थे। यह अपना एक ऑफिस UK में भी बताते थे।
4. यह लोग आम लोगों के सामने अपने आप को लोकसेवक की तरह प्रस्तुत करते थे और अपनी वेबसाइट www.intlpcrrib.in के माध्यम से लोगों से डोनेशन के रूप में पैसा लेने का काम कर रहे थे। इस वेबसाइट पर विभिन्न राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय सर्टिफिकेट प्रदर्शित करते थे व अपने आप को एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था बताते थे।
5. यह लोग अपने पास प्रेस के आई कार्ड ,अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आईकार्ड एवं विभिन्न संस्थाओं के आईकार्ड,मोहर आदि लोगों को बेवकूफ बनाने एवं उनको प्रभाव में लेने के लिये रखते थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. बिभाष चन्द्र अधिकारी पुत्र प्रभाकर अधिकारी निवासी ग्राम कृष्णा नगर थाना नलहाटी जिला वीरभूम वेस्ट बंगाल हाल पता बीएस-136 सैक्टर 70 थाना फेस-3 नोएडा - शिक्षा - बीए
2. अराग्य अधिकारी पुत्र विभाषचन्द्र अधिकारी निवासी ग्राम कृष्णा नगर थाना नलहाटी जिला वीरभूम वेस्ट बंगाल हाल पता बीएस-136 सैक्टर 70 थाना फेस-3 नोएडा - शिक्षा - बीए एलएलबी
3. बाबुल चन्द्र मंडल पुत्र स्व० वीरेन्द्रनाथ मण्डल निवासी ग्राम नार्थ कंचुआ थाना अशोक नगर जिला 24 परगना पश्चिम बंगाल हाल पता बीएस-136 सैक्टर 70 थाना फेस-3 नोएडा - शिक्षा -12 वी
4. पिन्टूपाल पुत्र उत्पल पाल निवासी ग्राम छुदनकंदी थाना नोघटी जिला वीरभूम पश्चिम बंगाल हाल पता बीएस-136 सैक्टर 70 थाना फेस-3 नोएडा उम्र 27 वर्ष - शिक्षा-12 वी
5. समापदमल पुत्र अदुमल निवासी किशनपुर थाना नालहट जिला वीरभूम पश्चिम बंगाल हाल पता बीएस-136 सैक्टर 70 थाना फेस-3 नोएडा उम्र 29 वर्ष - शिक्षा - 12 वी
6. अशीष कुमार पुत्र मुनिमय मोहन सिंह निवासी म०न० 266 ए मोहल्ला दक्षिण कलकत्ता थाना टालीगंज जिला कलकत्ता पश्चिम बंगाल हाल पता बीएस-136 सैक्टर 70 थाना फेस-3 नोएडा उम्र 57 वर्ष - शिक्षा - 12 वी

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु०अ०सं० 320/2025 धारा 204 ,205,318,319, 336,339,338, 3(5) बीएनएस व 66सी , 66डी IT एक्ट व 3/4 EMBLEMS AND NAMES (PREVENTION OF IMPROPER USE) Act 1950

बरामदगी का विवरण--

1. बिभाष चन्द्र अधिकारी पुत्र प्रभाकर अधिकारी के कब्जे से तीन मोबाईल 1.OPPO कम्पनी रंग काला 2. OPPO कम्पनी रंग काला 3. सैमसंग गैलेक्सी रंग काला व 06 चैक बुक अलग अलग बैकों की , कुल 16

स्टाम्प मोहर अलग अलग नाम की , एक पैड व 09 आई कार्ड, अलग अलग संस्थाओं से सम्बद्धीकरण दस्तावेज , तीन विजिटिंग कार्ड,सर्टिफिकट, लेटर पैड,लिफाफा,ट्रस्ट डीड , एटीम कार्ड व 42300 रुपये बरामद।

2. अराग्य अधिकारी पुत्र विभाषचन्द्र अधिकारी के कब्जे से 1+ मोबाईल रंग का बरामद।
3. बाबुल चन्द्र मंडल पुत्र स्व0 वीरेन्द्रनाथ मण्डल के कब्जे से वीवो कम्पनी रंग आसमानी ,आई फोन xr बरामद
4. पिन्टूपाल पुत्र उत्पल पाल के कब्जे से जामातलाशी से एक मोबाईल सैमसग रंग काला बरामद
5. समापदमल पुत्र अदुमल के कब्जे से xiaomi कम्पनी का मोबाइल रंग काला बरामद
6. अशीष कुमार पुत्र मुनिमय मोहन सिंह के कब्जे से एक मोबाईल आई फोन कथई कलर बरामद ।

2. थाना सेक्टर-63, नोएडा पुलिस द्वारा 02 मोबाइल फोन चोर गिरफ्तार, कब्जे से एक मोटरसाइकिल हीरो स्पलेण्डर प्लस(चोरी की), 11 मोबाईल फोन लूट/चोरी के, एक अवैध चाकू बरामद ।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 10.08.2025 को थाना सेक्टर-63 नोएडा पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए मु0अ0स0 360/2025 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. शिवम उर्फ गुटका पुत्र चुन्ना 2. अश्वनी पुत्र कमल को डी ब्लाक, छिजारसी नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से मु.अ.सं 360/2025 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित चोरी का एक मोबाइल फोन लावा व एक मोटरसाइकिल हीरो स्पलेण्डर प्लस रजि0 न0 डीएल 13 एसएस 7346 सम्बन्धित एफआईआर न0 014690 धारा 305(बी) बीएनएस थाना पाण्डव नगर दिल्ली बरामद हुई। उक्त अभियोग में माल बरामदगी के आधार पर धारा 317(2)/317(5) व 4/25 आयुद्ध अधि0 की बढोत्तरी की गयी है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. शिवम उर्फ गुटका पुत्र चुन्ना निवासी ग्राम बैसाय थाना राठ, जिला हमीरपुर व हाल पता जनता फ्लैट, 872ए, न्यायखण्ड 3, थाना इन्द्रापुरम, गाजियाबाद, उम्र 19 वर्ष
2. अश्वनी पुत्र कमल निवासी ग्राम सरकथल, थाना नूरपुर जिला बिजनौर व हाल पता पण्डितों का मौहल्ला, न्याय खण्ड 3, थाना इन्द्रापुरम, गाजियाबाद, उम्र 20 वर्ष

आपराधिक इतिहास का विवरण--

- 1- मु0अ0स0 360/2025 धारा 303(2),317(2)/317(5) व 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना सेक्टर-63 नोएडा, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
- 2- एफआईआर न0 014690 धारा 305(बी) बीएनएस थाना पाण्डव नगर दिल्ली

बरामदगी का विवरण--

1. एक मोटरसाइकिल हीरो स्पलैण्डर प्लस रजि0 न0 डीएल 13 एसएस 7346 सम्बन्धित एफआईआर न0 014690 धारा 305(बी) बीएनएस थाना पाण्डव नगर दिल्ली
2. 11 मोबाईल फोन
3. एक अवैध चाकू

3. थाना सेक्टर-39 पुलिस द्वारा मोबाईल फोन/वाहन चोरी करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 13 मोबाईल फोन विभिन्न कम्पनियों व एक मोटर साईकिल हीरो स्पैलेण्डर घटना में प्रयुक्त बरामदा

कार्यवाही का विवरण- थाना सेक्टर-39 नोएडा पुलिस द्वारा दिनांक 10.08.2025 को 03 अभियुक्त 1. आशू कन्नोजिया पुत्र रामकिशोर कन्नोजिया 2. शिवा उर्फ राजू उर्फ गौतम पुत्र चन्द्रवीर 3.अभिषेक पुत्र रमेश को स्टेलर ग्रीन पार्क के पीछे वाली रोड सेक्टर-43 से **गिरफ्तार** किये गये हैं। जिनके कब्जे से 13 मोबाईल फोन स्नैचिंग/चोरी के बरामद किये गये हैं।

अपराध करने का तरीका-- अभियुक्तगण द्वारा बरामद मोटर साईकिल हीरो स्पैलेण्डर पर सवार होकर सुनसान रास्तो पर आने जाने वाले लोगो से फोन स्नैचिंग करना व बस स्टैण्ड आदि भीड भाड वाले इलाकों से मोबाईल चोरी करके उन मोबाईलों को दिल्ली चोर बाजार में बेच देते हैं और उन मोबाईलों को बेचने पर जो रुपये हमे प्राप्त होते हैं उन्हें हम लोग आपस में बाट लेते हैं और उनसे हम अपनी नशे आदि की पूर्ति करते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. आशू कन्नोजिया पुत्र रामकिशोर कन्नोजिया निवासी ग्राम अलमापुर,पोस्ट सदरपुर ,थाना बिलग्राम ,जिला हरदोई हालपता- सदरपुर,सेक्टर-45,थाना सेक्टर-39,नोएडा,उम्र- करीब 19 वर्ष।

2. शिवा उर्फ राजू उर्फ गौतम पुत्र चन्द्रवीर निवासी गुल्ली भटोना ,थाना गुलावटी ,जिला बुलंदशहर,हालपता- हरिओम आटा चक्की के पास,किराये का मकान,सदरपुर कालोनी,सेक्टर 45,थाना सेक्टर 39,नोएडा,गौतमबुद्ध नगर,उम्र- करीब 24 वर्ष ।

3.अभिषेक पुत्र रमेश निवासी ग्राम रायपुर,थाना ठाकुर द्वारा,जिला मुरादाबाद,हालपता- हरिओम आटा चक्की के पास, किराये का मकान,सदरपुर सेक्टर 45,थाना सेक्टर 39,नोएडा,गौतमबुद्धनगर,उम्र- करीब 23 वर्ष ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0 395/2025 धारा 305 ए /317(2),317(5) बीएनएस में स्नेच किया गया मोबाईल व घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल बरामद हुई है ।

बरामदगी का विवरण--

एक मोटर साईकिल हीरो स्पैलेण्डर

चोरी / स्नेच किये गये 13 मोबाईल फोन एण्ड्रोएड विभिन्न कम्पनियों के बरामद ।